फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 80 प्रभात जयपुर, गुरुवार 20 अक्टूबर , 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

'Bhagavad Gita, My Eternal Mother'

Its freedom from dogma: Gandhi observed that the Gita is "not a collection of "dos and don'ts;" It is non-sectarian and non-dogmatic.

Tourists @ National Parks

Treat Your Guests On Diwali | A list of snack recipes for the party

वैज्ञानिकों ने मादा वाइट फेस्ड कापुचिन बंदरों की लम्बी उम्र का राज खोज लिया लगता है। उनका कहना है कि मादाओं की आपसी दोस्ती उन्हें लंबे समय तक जीवित रखती है। नॉर्थवैस्टर्न कोस्टा रीका के शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले वाइट फेस्ड कापुचिन मादा बंदरों पर, युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, की एन्थ्रोपॉलजी की प्रोफेसर और फील्ड प्राइमेटॉलजिस्ट सूसन पैरी शोध कर रही हैं। उन्होंने बताया कि, हालांकि चिम्पैंज़ी और ओरांगुटान इंसान के ज्यादा करीब हैं पर वाइट फेस्ड कापुचिन बंदरों में इंसानों की तरह ही बहुत जटिल सामाजिक व्यवस्था होती है। नवीनतम शोध हाल ही में बिहेवियरल इकॉलजी में छपा है। शोधकर्ताओं ने अन्य मादाओं और नरों के साथ मादा कापुचिन बंदरों के सम्बंध और व्यवहार को जानने के लिए 18 साल के डेटा का विश्लेषण किया। मुख्य शोधकर्ता कोटरीना कजोकेट, जिन्होंने सूसन पैरी के मार्गदर्शन में यह शोध किया है, ने मुख्य निष्कर्ष यह निकाला कि, जिन मादा कापुचिन का अन्य वयस्क मादाओं के साथ मजबूत सोशल नैटवर्क होता है वे ज्यादा अवधि तक जीवित रहती हैं। मजबूत सम्बंध में वैज्ञानिकों ने लेन-देन, एक दूसरे की सार-संभाल, साथ मिलकर भोजन ढूंढना और लड़ाई -झगड़ा होने पर एक दूसरे की मदद के लिए बीच में पड़ने जैसी प्रवृतियों को शामिल किया है। हालांकि, कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि, जो मादाएं अपने सम्पूर्ण ग्रुप में सामाजिक रुप से अधिक जुड़ी हुई हैं, वे ज्यादा जीती हैं। तथापि, शोध का कुल मिलाकर स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि मादाओं के आपसी संबंधों का उसके सरवाइवल पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है।

खड़गे को बधाई देने की ''रेस'' में सबसे आगे कौन दिखे?

वे दिखे जो कल तक सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे से बदतमीज़ी करने व अपमानित करने में अग्रणी थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली,19 अगस्त। कोई नहीं जानता कि समय कब और किस तरफ करवट लेगा। वही लोग, जिन्होंने उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनका अनादर किया था, जब सोनिया गांधी द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर गये थे, आज खड़गे को बधाई देने के लिये टूटे पड़ रहे थे, जब वे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गये थे।

जहाँ अशोक गहलोत कल रात ही दिल्ली पहुँच गये थे तथा खड़गे के चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिये खासतौर पर उपस्थित थे, वहीं उनके तीन कस्तूरी मृग भी नये अध्यक्ष का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये विशेष रूप से वहाँ उपस्थित थे। शान्ति धारीवाल, महेश जोशी तथा धर्मेन्द्र राठौड़, जिन्हें कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के लिये नोटिस भेजा हैं, खड़गे के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर, उनकी नजर में आने के लिये तथा उन्हे बुके भेंट करने के लिये, उपस्थित थे।

यहाँ पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा भी मौजूद थे, जो इस समय गहलोत की मंडली के हिस्सा हैं।

ये सब वही नेता हैं जिन्होंने खड़गे एवं अजय माकन के जयपुर आने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इन दोनों नेताओं ने जयपुर से लौट कर, सोनिया गांधी को इस सब की रिपोर्ट दी तथा गहलोत को भी उस साजिश का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अशोक गहलोत और उनके तीन वफादार सिपाही, शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़, खड़गे के निवास, 10, राजाजी मार्ग, पर सक्रिय दिखे, खड़गे को गुलदस्ता भेंट करने की कोशिश में।
- गहलोत, दस, राजाजी मार्ग से डॉ. मनमोहन सिंह से मिलने उनके घर गये तथा लगभग उसी समय अंबिका सोनी व मुकुल वासनिक भी वहां पहुंचे। दोनों गहलोत के मजबूत समर्थक हैं तथा अंबिका सोनी के डॉ. मनमोहन सिंह से बहुत नजदीकी संबंध हैं, अतः अब कोशिश है कि मनमोहन सिंह अगर सोनिया गांधी पर दबाव लगाकर कहें कि, गहलोत की कुर्सी को हिलाया नहीं जाये, तो क्या सोनिया गांधी इस ''आग्रह'' को अस्वीकार कर सकती हैं।
- बहरहाल, गहलोत प्रियंका गांधी के सुजान सिंह पार्क स्थित रैज़िडैंस पर उनसे मिलने गये। वहां ए.आई.सी.सी. के कोषाध्यक्ष पवन बंसल भी मौजूद थे। क्या गुजरात के चुनाव की फण्डिंग का मसला ''डिस्कस'' करने या कोई और बात थी।
- प्रयास जारी हैं सफलता मिलने की आशा नहीं दिख रही। वैसे भी पहले भी गहलोत ने गुजरात की यात्रा का चार दिन का प्रोग्राम बनाया था, पर, जब उनकी यह ''रिक्वैस्ट'' रघु शर्मा व वेणुगोपाल के मार्फत राहुल गांधी तक पहुँची, तो ''सलाह'' दी गयी थी कि, 19 अक्टूबर तक, अध्यक्ष पद चुनाव तक, का ही प्रोग्राम बनायें। गहलोत दो ही दिन में गुजरात से लौट आये।

संजय मल्होत्रा नए राजस्व सचिव

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। केन्द्र सरकार ने बुधवार को वित्त मंत्रालय में एक बड़ा उलटफेर करते हुए वित्त सेवा सचिव संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव नियुक्त कर दिया। वे 30 नवम्बर को तरूण बजाज से पद ग्रहण करेंगे जो रिटायर हो रहे हैं।

वित्त सेवा सचिव के पद पर संजय मल्होत्रा की जगह विवेक जोशी लेंगे,

- राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी मल्होत्रा इससे पहले फायनैन्शिअल सर्विस सैक्रेटरी थे।

जो कि अभी गृह मंत्रालय में भारत के रजिस्ट्रार जनरल है और जनगणना आयुक्त हैं। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आई.ए.एस. अफसर हैं, वहीं जोशी 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अफसर हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की अपॉइन्टमैंट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थरूर को हराकर खड़गे ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला

सोनिया गांधी का खड़गे के निवास पर मुबारकबाद देने जाना, साफ संदेश था कि, कांग्रेस में सत्ता का केन्द्र, 10, जनपथ से हट कर 10, राजाजी मार्ग आ गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। अपने 137 के इतिहास में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुये, कांग्रेस आज अपने बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष चुन लिया। वे अपने प्रतिद्वंदी लोकसभा सांसद शशि थरूर को हराकर, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गये। वे पिछले 24 साल में कांग्रेस के प्रथम गैर-गांधी अध्यक्ष हैं।

खड़गे, जो ''गांधी परिवार-अनुमोदित'' उम्मीदवार के रूप में प्रोजैक्ट हो रहे थे, ने सोमवार के मतदान में 90 प्रतिशत मत प्राप्त किये। उन्होंने 7,897 वोट अर्जित किये, जबकि थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके।

यह चुनाव उस घटना के बाद तीन साल तक चली लम्बी बहस एवं हलचल के बाद सम्पन्न हुआ, जब सोनिया गांधी उस समय अस्थाई रूप से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनने के लिये सहमत हो गई थीं, जब राहुल गांधी ने 2014 तथा 2019 के आम चुनावों की दो लगातार हारों की जिम्मेदारी लेते हुये, पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।

पार्टी के इस सर्वोच्च पद के लिये चुनाव तभी एक वास्तविकता का रूप ले सका, जब राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष न बनने के अपने घोषित संकल्प पर पूरी दृढ़ता के साथ अड़े रहे तथा पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कांग्रेस को चुनाव कराने की स्थिति के लिये तैयार किया।

इसके साथ ही, सोनिया गांधी तथा प्रियंका गांधी भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसी गैर-गांधी नेता के लिये रास्ता बनाने के अपने संकल्प पर जमी रही।

वोटों की गिनती ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर आज सुबह शुरु हो गई थी। पूरे देश में फैले 68 मतदान केन्द्रों से सीलबंद मतपेटियाँ यहाँ मंगलवार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राहुल गांधी ने भी पूछे जाने पर कहा कि, वे अब ''खड़गे जी'' को रिपोर्ट करेंगे तथा खड़गे जी ही निर्णय लेंगे कि उनकी पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी।
- शशि थरूर ने मतगणना से पूर्व काफी तीखा पत्र लिखा था, मधुसूदन मिस्री को, चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, पर नतीजा आने पर वे पलटे और कहा, उन्हें क्षोभ है कि, उनका पत्र ''लीक'' हुआ तथा वे अपनी आपत्तियों को वापस लेते हैं तथा उन्हें खुशी है कि, चुनाव से पार्टी का पुनर्जीवन वाकई में शुरू हो गया है।

मोदी ने दी बधाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (80 वर्ष) एक सप्ताह बाद 26 अक्टूबर को पद ग्रहण करेंगे। वे 85 प्रतिशत मतों से विजयी हुए हैं।

अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य फासीवादी ताकतों से लड़ना है। खड़गे के इस बयान के तुरंत

- कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर पर बधाई दी और कहा, मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ।

बाद ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ट्वीट आया और उन्होंने खड़गे को बधाई दी, ''श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर मेरी शुभकामनाएं। मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ।''

मोदी सरकार के संबंध में खड़गे ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'समता पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग ने 2004 में रद्द कर दी थी'

दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिव सेना को, समता पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित करना सही ठहराया तथा चुनाव आयोग के निर्णय में कोई खामी नहीं पाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को समता पार्टी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने चुनाव आयोग के इस का हमें आरम्भ में लिए उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसके तहत आयोग ने ''मशाल'' का निशान शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट को अंधेरी ईस्ट के उप चुनाव में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी।

जस्टिस संजीव नरूला की एकल बैंच ने कहा कि समता पार्टी इस निशान पर अपने हक के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी क्योंकि यह पार्टी वर्ष 2004 में ही मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा खो चुकी है।

वर्ष 1994 में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तथा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका गठन किया था। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष उदय मंडल हैं।

यह पार्टी जनता दल से ही निकली

- समता पार्टी 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस व नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित हुई थी। समता पार्टी, जनता दल से निकली हुई एक नयी पार्टी थी तथा 2003 में उसका जनता दल में पुनः विलय हो गया था।

थी तथा 2003 में इसका विलय जनता दल (युनाइटेड) में हो गया था।

हालांकि इसके कुछ नेता समता पार्टी के नाम व निशान के साथ बने रहे, पर वर्ष 2004 में चुनाव आयोग ने इसकी मान्यता खत्म कर दी और इसका निशान भी छिन गया।

जज ने कहा कि अगर पार्टी का इस निशान पर कोई हक था तो वो भी इलैक्शन सिम्बल्स (रिज़र्वेशन एंड एलॉटमैंट) ऑर्डर के भाग 10(ए) के तहत 6 साल बाद खत्म हो जाता है। इन हालात में याचिकाकर्ता का उक्त निशान पर कोई अधिकार नहीं है।

समता पार्टी की दलील है कि पार्टी ने ''मशाल'' निशान पर चुनाव लड़ा है, पर जज ने कहा कि भले ही पार्टी ने 2014 में इसी निशान पर चुनाव लड़ा है पर इससे इसे इस निशान पर अधिकार नहीं मिल जाता है। जस्टिस नरूला ने समता पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग की यह अधिसूचना गलत है कि जलती मशाल एक स्वतंत्र चिन्ह है।

अपनी याचिका में समता पार्टी ने कहा कि यद्यपि पार्टी की मान्यता 2004 में रद्द हो गई थी पर पार्टी को 2014 के चुनावों में यह निशान आवंटित हुआ था। पार्टी ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा और 2020 में कुछ अन्य निशानों पर चुनाव लड़ा। पर यह 2009, 2014, 2019 व उसके बाद के चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई।

कामाख्या मंदिर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गौहाटी के विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर, जो एक पहाड़ी पर है और शाक्त मत का प्रमुख

- सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, मंदिर का ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है, स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

केन्द्र है, की सही देखभाल नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि स्वच्छता (हायजीन) में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी जस्टिस अजय रस्तोगी, ने जो जस्टिस सी.टी. रविकुमार के साथ बैंच की अध्यक्षता कर रहे थे, ने मंदिर के रखरखाव संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए की। उन्होंने कहा कि, ''मैं छुट्टियों में वहां गया था मंदिर का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट को यह तय करना है कि आर.ई.सी. प्रोजैक्ट की अवधि क्या होनी चाहिये?

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रोजैक्टों को पूरी कार्य अवधि के दौरान एक समान उचित दर पर मुआवजा मिलना चाहिए

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 19 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट में रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आर.ई.सी.) मैकेनिज्म के तहत बने पवन तथा सौर ऊर्जा के संयंत्रों को 2019 से भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में मंगलवार तथा बुधवार को भी बहस जारी रही। याचिकाकर्ताओं में से अदालत ने पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) को सुना था, परंतु कई याचिकाकर्ता ऐसे भी हैं जिनके तर्क व तथ्य आई.ओ.सी. द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से भिन्न हैं। इसलिये अदालत ने दो दिन अन्य याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना। बहस पूरी नहीं होने के कारण मामला अब 3 नवम्बर को सुना जायेगा।

मंगलवार व बुधवार को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संबंधित दो याचिकाकर्ताओं, जिनमें से एक राजस्थान सरकार की और दूसरी प्राइवेट कम्पनी है, की ओर से अधिवक्ता पी.एन. भंडारी पेश हुए। पूर्व मुख्य सचिव रह चुके पी.एन. भंडारी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.वी.पी.एन.एल) के तीन बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि यह मामला उतना जटिल नही है जितना दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत को इस पूरे मामले में विद्युत नियामक आयोग की भूमिका को देखकर ही निर्णय लेना होगा। उन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के 2014 की रेगूलेशन के अनुसार अक्षय ऊर्जा से संबंधित प्रोजेक्टों की पूर्ण अवधि 25 साल की बताई गई है।

उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए 2019 में इन प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने की दर 3.14 रुपये प्रति यूनिट तय करते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि यह दर इन प्रोजेक्टों की बची हुई कार्य अवधि के लिये है। उन्होंने अदालत में 2009 और 2010 के सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के संबंध में दस्तावेज पेश किये जिसमें आयोग तथा राज्य सरकार ने माना है कि इन सौर तथा पवन ऊर्जा प्रोजेक्टों की कार्य अवधि कहीं 12 वर्ष है तो कहीं 15 वर्ष। उन्होंने अदालत को बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उद्योगपति तथा उसको कर्ज देने वाले बैंक को यह जानकारी होनी चाहिये कि प्रोजेक्ट की कार्य अवधि में किस दर पर उसे कितना मुआवजा दिया जायेगा, तभी वह बैंक उस उद्योगपति को कर्ज देगा। उन्होंने कहा कि इसी तथ्य के कारण आयोग के 2014 की रेगूलेशन में यह प्रावधान बनाया गया था कि पवन और सौर ऊर्जा के हर प्रोजेक्ट की अवधि 25 वर्ष होगी और इन प्रोजैक्टों की अवधि के दौरान एक ही दर पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णय भी दिखाया, जिससे यह लिखा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की पूरी कार्यावधि के दौरान उन्हें उचित तय दर पर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि आयोग व डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी ही रेगूलेशन की जानकारी नहीं है और उन्होंने ऐसे बेबुनियाद आदेश पारित किये हैं।

उनके द्वारा एक गंभीर मुद्दा यह भी उठाया गया कि आयोग ने मार्च 2019 में, स्वत: संज्ञान लेने हुए, जब आर.ई.सी. मैकेनिज्म के तहत बने प्लांटों की दर 3.14 रुपये प्रति यूनिट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सौर ऊर्जा उत्पादकों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी.एन. भंडारी ने यह तर्क दिये और कहा कि नियामक आयोग और उत्पादकों की बातचीत के बाद ही दर तय की जानी चाहिये थी।
- उन्होंने आगे कहा कि नियामक आयोग ने अपने कर्त्तव्य को दरकिनार करते हुए, दरें तय की और फिर डिस्कॉम को इन दरों पर बिजली खरीदने के लिए अपने आदेश में बाध्य भी नहीं किया।

रजनीकांत को लताड़

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली,19 अगस्त। सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग, जिसने तमिलनाडु के तूतीकोरन नगर में 2018 में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की गोलीवारी, जिसमें 14 लोग मारे गये थे,

- वर्ष 2018 के तूतीकोरन प्रदर्शन मामले, जिसमें पुलिस की गोली से 14 लोग मारे गये थे, में सरकार द्वारा गठित आयोग ने रजनीकांत को गलत बयानबाजी करने का दोषी ठहराया और फटकार लगाई।

की जाँच की थी, ने मेगास्टार रजनीकान्त की खिंचाई करते हुये कहा है कि उन्होंने तथ्यों का सत्यापन किये बिना गलत बयान दिये थे तथा ये बयान बहुत संवेदनशील प्रकृति के थे। ये फिल्म

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)